पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 237/2024 **AZAMGARH POLICE** दिनांक- 30.07.2024

प्रेस नोट

थाना महराजगंज

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार का इनामिया अभियुक्त अवैध तमंचा - कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/अभियोग–

➡ दिनांक 05.06.2018 को थाना महराजगंज क्षेत्र के भैरो बाबा मन्दिर के पास से मोटर साइकिल नं0- UP 50 AE 9113 चोरी हुयी थी। जिसमें वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 121/18 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 09.04.2018 को शुक्ला भवन थाना रौनापार से दो दुकान से 02 कम्प्युटर , 02 लैपटाप, प्रिन्टिंग मशीन, 08 मोबाइल फोन , 17000/- रुपया, 3000/- रुपये का रिचार्ज कूपन तथा 35 सेट मोबाइल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया जिसमें वादी मुकदमा दीपक पुत्र हरिश्चन्द्र की तहरीर पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 74/18 धारा 457/380 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 28.05.2018 को ब्रह्मस्थान भीमवर थाना रौनापार से मोटर साइकिल नं0 UP 50 V 3256 स्प्लेण्डर प्लस गाडी अज्ञात चोर द्वारा चोरी किया गया जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा पंकज दूबे पुत्र सुरेश दूबे की तहरीर पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 117/18 धारा 379 भादवि0 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 19.06.2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार विकाश चन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा महुला गढवल रोड हैदराबाद बार्डर से 05 मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के पार्ट्स, 04 मोबाइल के साथ गैंग लीडर गुलशन उर्फ आकाश यादव व सदस्य गोविन्द यादव, मोतीचन्द यादव ,सोनू यादव व हरिवंश निषाद को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 139/18 धारा 41/411/413/414/467/468/471 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

गैंगेस्टर अभियोग-

थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने तथा उपरोक्त गैंग पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु **श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़** द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट पर दिनांक 15.05.2023 को अनुमोदित किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 15.05.2023 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा द्वारा थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 153/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1-गुलशन उर्फ आकाश यादव, 2-गोविन्द यादव, 3-मोतीचन्द यादव, 4-सोनू यादव व 5-हरिवंश निषाद** पंजीकृत किया गया।

➡ पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्या0/जेल भेजा जा चूका है। तथा 01 अभियुक्त ने मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

गिरफ्तारी का विवरण– **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा अवैधशस्त्र बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी व0उ0नि0 महराजगंज दलप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 29.07.2024 को ग्राम बृजमनी खुर्द पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त **आकाश यादव उर्फ गुलशन पुत्र देवमन यादव सा0 मनोगा का पुरा थाना महराजगजं जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त आकाश यादव उर्फ गुलशन को समय करीब 17:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 315/24 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 315/24 धारा 3/25 A. ACT थाना महराजंगज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– आकाश यादव उर्फ गुलशन पुत्र देवमन यादव सा0 मनोगा का पुरा थाना महराजगजं जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

क्रस00	मुअ0सं00	धारा	थाना	जनपद
1.	74/2018	457/380/भादवि 411	रौनापार	आजमगढ़
2.	117/2018	भादवि 379	महराजगंज	आजमगढ़
3.	121/2018	379/भादवि 411	महराजगंज	आजमगढ़
4.	139/2018	41/411/413/414/467/468/भादवि 471	रौनापार	आजमगढ़
5.	333/2022	323/504/भादवि 506	महराजगंज	आजमगढ़
6.	340/2022	3/ 25 A.ACT	महराजगंज	आजमगढ़
7.	10/2023	379/411/420/419/ भादवि 473	महराजगंज	आजमगढ़
8.	11/2023	3/ 25 A. ACT	महराजगंज	आजमगढ़
9.	153/23	3(1) युपी गैगेस्टर अधिनियम	महराजगंज	आजमगढ़
10.	331/23	174ए भादवि	महराजगंज	आजमगढ़
11.	315/24	3/25 आर्म्स एक्ट	महराजगंज	आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी व0उ0नि0 दलप्रताप सिंह, प्रशिक्षु उ0नि0 अमित कुमार तिवारी, का0 सन्त कुमार पाल, का0 शुभम यादव, का0 वीरेन्द्र भारतीय थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

2- उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय, मु0आ0 सतेन्द्र यादव, मु0आ0 विनोद सरोज, मु0आ0 अवधेश यादव, आ0 धर्मेन्द्र सोनी, आ0 मुकेश यादव स्वाट टीम, मु0आ0 संजय सिंह सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़।

थाना – फूलपुर

थाना जीयनपुर से गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये का इनामियां अभियुक्त अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 26-08-2023 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह व चौकी प्रभारी लाटघाट मय द्वारा लाटघाट पुलिया से 01 ट्रक में लदे 09 पशु, 01 तमन्चा, 02 जिन्दा कारतूस, के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-581/2023 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर जेल भेजा गया।

गैंगस्टर अभियोग-

उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु **श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़** द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट पर दिनांक 06.01.2024 को अनुमोदित किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 13.01.2024 को वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जीयनपुर विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 19/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1- अजय पछरकट उर्फ अजय शिल्पकार पुत्र सुबाष उर्फ सुभाष निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2- रवि कुमार पुत्र दिलमोहन निवासी खुरासो थाना फूलपुर, आजमगढ़, 3- आसिफ अली उर्फ आसिफ कंकाली उर्फ अजय सिंह पुत्र शौकत अली निवासी हसनाडीह सोफीगढ़, अहरौला, आजमगढ़, 4- अक्षय लाल यादव उर्फ अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामबिहारी यादव निवासी डुमरी मठिया थाना लार जनपद देवरिया** पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ के द्वारा की जा रही है।

➡ उपरोक्त मुकदमे में फरार चल रहे अभियुक्त अक्षयलाल यादव की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25000/ रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा (IPS) द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी मय हमराह व व0उ0नि0 गंगा राम विन्द व उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह मय हंमराह को सूचना मिली कि थाना जीयनपुर से गैगेस्टर एक्ट में वाँछित 25000/- रुपये का इनामियां अभियुक्त अक्षयलाल यादव उर्फ अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामविहारी यादव ग्राम डुमरी मठिया थाना लार जनपद देवरिया अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ अम्बारी चौराहे पर मौजुद है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी मय फोर्स अम्बारी पहुचे। अभियुक्त अक्षयलाल यादव उर्फ अच्छेलाल यादव अम्बारी रेलवे स्टेशन के समाने सीढ़ी पर बैठा था जिसके पास असलहा भी था । प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स द्वारा अम्बारी रेलवे स्टेशन पर घेराबन्दी कर अभियुक्त अक्षयलाल यादव उर्फ अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामविहारी यादव ग्राम डुमरी मठिया थाना लार जनपद देवरिया उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 कट्टा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 400/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अक्षयलाल यादव उर्फ अच्छेलाल यादव पुत्र श्यामविहारी यादव ग्राम डुमरी मठिया थाना लार जनपद देवरिया उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी- 01 कट्टा व 02 जिन्दा करातुस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 400/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 189/2019 धारा 379/304ए/337/338 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ।

2- मु0अ0सं0- 333/2022 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुक्रुरता अधि0 थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर

3- मु0अ0सं0- 359/2023 धारा 419/420/467/468/471/473 भादवि थाना अहरौला आजमगढ

4- मु0अ0सं0- 581/2023 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुक्रुरता अधि0 थाना जीयनपुर आजमगढ

5- मु0अ0सं0- 19/2024 धारा (1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1-प्र0नि0 शशीचन्द चौधरी, व0उ0नि0 गंगा राम विन्द, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 शुभम मिश्रा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

2-उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला (स्वाट टीम-II),मु0आ0 सतेंद्र यादव, मु0आ0 विनोद सरोज, मु0आ0 अवधेश यादव, आ0 धमेंद्र सोनी, आ0 मुकेश यादव स्वाट टीम, मु0आ0 संजय सिंह, मु0आ0 उमेश यादव, आ0 आलोक सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़।

थाना जीयनपुर
किशोरी को भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.05.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री दिनांक 17-05-2024 की सुबह बिना किसी से बताए घर से कही पर चली गयी बहुत खोज -बीन किया तो पता चला कि अंगद पुत्र राजेन्द्र चौहान वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 226/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम अंगद पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी सगड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में आज दिनांक 30.07.2024 को उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंगद पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी कस्बा सगड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़ को चांदपुर घटोरा से समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अंगद पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी कस्बा सगड़ी थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 226/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव, हे0का0सतेन्द्र यादव, का0अवनीश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
चोरी के टेम्पो के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 28.07.2024 को आवेदक जयराम मौर्या पुत्र सेकारू मौर्या ग्राम अलीनगर पो0 गालीबपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 28.07.2024 को दिन में अपने आटो नं0 UP50 DT 7182 को लेकर सरायमीर बाजार जा रहा था कि रास्ते पवई लाड़पुर के पास अपना आटो रिक्शा खड़ा करके शौचालय करने हेतु 50 मी0 दूर गया था। जब वापस आकार देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का आटो चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 410/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त अरविन्द गौतम का नाम प्रकाश में आया।
गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में आज दिनांक 30.07.2024 को व0उ0नि0 संदीप कुमार शर्मा मय हमराह द्वारा करछा बार्डर से अभियुक्त अरविन्द गौतम पुत्र राजू गौतम ग्राम हैदराबाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी की टेम्पो के साथ समय करीब 03.20 बजे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 28/07/2024 को दोपहर मे पवई लाडपुर के पास से 01 आटो (टेम्पू) अभियुक्त ने चोरी किया था।
बरामदगी- 01 टेम्पू
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 410/24 धारा 303(2) BNS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त- अरविन्द गौतम पुत्र राजू गौतम ग्राम हैदराबाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 संदीप शर्मा, का0 श्रेष्ठ यादव, का0 विनय सरोज, म0का0 मनीषा दूबे,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
किशोरी को भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को अभियुक्त किशन पुत्र त्रिभुवन राम निवासी पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 270/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में आज दिनांक 30.07.24 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त किशन उर्फ रजनीश पुत्र त्रिभुवन राम निवासी पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को उसके घर पटवध कौतुक से समय करीब 10.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- किशन उर्फ रजनीश पुत्र त्रिभुवन राम निवासी पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 270/24 धारा 137(2) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लवकुश कुमार, हे0का0 रामनिवास यादव, का0 स्वातेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.07.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को विपक्षी विजय कुमार पुत्र रामजनम निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 259/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।
दौरान विवेचना पीडिता की बरामदगी व बयान व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।
गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.07.24 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामजनम निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर खानपुर भगतपट्टी से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- विजय कुमार पुत्र रामजनम निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 259/24 धारा 64/137(2)/87 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद, का0 सुमित राव, का0 प्रमोद कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर
किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पूत्री को अभियुक्त चित्रसेन S/O बिजेन्द्र R/O लौदह इमादपुर PS मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा वादी की लडकी के साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 288/24 धारा 366, 376, 342, 323, 506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.07.2024 को अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चित्रसेन पुत्र बिजेन्द्र R/O लौदह इमादपुर PS मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम लौदह इमादपुर से समय 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- चित्रसेन पुत्र बिजेन्द्र R/O लौदह इमादपुर PS मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 288/2024 धारा 366, 376, 342, 323, 506 IPC थाना मेंहनगर आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– अपराध निरीक्षक जयप्रकाश यादव, हे0का0 जितेन्द्र अवस्थी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

प्रतिबन्धित पशु के साथ 04 अभयुक्त गिरफ्तार, 03 पशु बरामद

आज दिनांक 30.07.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव व उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि 01 मैजिक मे 03 पशु वध के लिए ले जा रहे हैं, जो नीबी प्राइमरी पाठशाला के पास खड़े हैं। इस सूचना पर उ0नि0 संतोष कुमार यादव व उ0नि0 अजय प्रताप सिंह मय हमराह ने ग्राम नीबी प्राईमरी पाठशाला से 04 अभियुक्तो 1. इरफान शाह उर्फ कंस S/O रज्जब अली R/O ग्राम जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 24 वर्ष, 2. सूरज यादव पुत्र दुबरी यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 24 वर्ष AZM, 3. विशाल यादव उर्फ प्रिंस पुत्र अखिलेश यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 18 वर्ष, 4. प्रमोद यादव पुत्र स्व0 अखिलेश यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 मैजिक, 03 प्रतिबन्धित पशु व 1950 रुपए बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 218/24 धारा 3/5A/ 8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 218/2024 धारा 3/5A/ 8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-इरफान शाह उर्फ कंस S/O रज्जब अली R/O ग्राम जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 24 वर्ष,

2. सूरज यादव पुत्र दुबरी यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 24 वर्ष AZM,

3. विशाल यादव उर्फ प्रिंस पुत्र अखिलेश यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ 18 वर्ष,

4. प्रमोद यादव पुत्र स्व0 अखिलेश यादव R/O जाफरपुर PS सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22।

बरामदगी– 01 मैजिक, 03 प्रतिबन्धित पशु व 1950 रुपए

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) उ0नि0 अजय प्रताप सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) का0 प्रमोद यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(4)का0 राजेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(5) का0 कृष्ण कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(6)का0 रमेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

किशोरी से छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.07.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लडकी से अभियुक्त सीताराम राजभर पुत्र स्व0 जयत्री राजभर निवासी खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ छेडखानी किया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 394/2024 धारा 74 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 9/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. राहुल कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.07.2024 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभि0 सीताराम राजभर पुत्र जयन्त्री राजभर निवासी खल्लोपुर गम्भीरबन थाना जहानागंज सुम्भी बाजार के सुम्भी बाजार से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी अभियुक्त- सीताराम राजभर पुत्र जयन्त्री राजभर निवासी खल्लोपुर गम्भीरबन थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 394/2024 धारा 74 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 9/10 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ.नि. राहुल कुमार मय हमराह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय आजमगढ़ में जुर्म स्वीकार करने पर सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-थाना मेहनाजपुर: चोरी के आरोपी अभियुक्त को 07 माह सश्रम कारावास व 500/- रूपये जुर्माना

➡ दिनांक- 22.04.2024 को वादिनी मुकदमा माया विश्वकर्मा पत्नी धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सुर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ ने वादिनी की साइकिल चोरी कर लिया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेंहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 379, 411 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 29.07.2024 को अभियुक्त द्वारा जेल लोक अदालत में जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त मुकेश विश्वकर्मा पुत्र सुर्यबली विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिधौना, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को 07 माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

02-थाना मेहनगर जिला बदर अवधी के अन्दर थानाक्षेत्र में घूमते हुए पाये जाने पर आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक 26.12.2023 को वादी मुकदमा संजय कुमार सिंह थाना प्रभारी मेंहनगर द्वार अभियुक्त संजय पुत्र परदेशी राम निवासी ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गुण्डा एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त को 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था।

➡ जिला बदर होने के उपरान्त आदेश का अनुपालन न करना तथा जिला बदर अवधि के अन्दर थाना क्षेत्र की सीमा में घूमने के कारण वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 536/2024 धारा 10 गुण्डा ग0अधि0 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

➡ दिनांक 29.07.2024 को अभियुक्त द्वारा जेल लोक अदालत में जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त संजय पुत्र परदेशी राम निवासी ठोठिया, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस